उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-04/2024/18/1/2008/47/का-2/2024

लखनऊ, दिनांक: 18-11-2024

कार्यालय-ज्ञाप

पदोन्नति में दिव्यांगजन के लिये आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं0 36012/01/2020-Estt. (Res-ii) दिनांक 17 मई, 2022 के आलोक में कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 04 अगस्त, 2022 द्वारा पदोन्नति में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए है।

2- भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मई, 2022 के प्रस्तर-2.1 में दी गई व्यवस्था के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त कार्मिक विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 अगस्त, 2022 में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण की मात्रा विषयक बिन्दु संख्या-2 की निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-1 में अंकित वाक्यांश को तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित वाक्यांश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

2-दिव्यांगों हेतु आरक्षण की मात्रा	
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
समूह 'घ' से 'ग' समूह 'ग' से समूह 'ख' तथा समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे निचले पायदान के पदों पर	समूह 'घ' से 'ग' में, समूह 'ग' के भीतर, समूह 'ग' से समूह 'ख' में, समूह 'ख' के भीतर तथा समूह 'ख' से समूह 'क' (सबसे निचले वेतनमान के पद पर) के पदों पर

3- कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 04 अगस्त, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

संख्या-04/2024/18/1/2008(1)/47/का-2/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
12. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियॉ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
14. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।